न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/48/2021
कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2021/86

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
श्री विष्णु चावड़ा पुत्र श्री हेमकरण चावड़ा नि0 50–51, शिव कॉलोनी, तिजारा फाटक, अलवर		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बानसूर (अलवर)

प्रवेश तिथि :: 18.06.2021

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 27.07.2021

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 26.03.2021 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी कार्यालय की मासिक प्रगति रिपोर्ट व प्रत्यर्थी कार्यालय का उच्चाधिकारी द्वारा किये गये अंतिम निरीक्षण संबंधी 02 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी।
4. अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रार्थना–पत्र दिनांकः 14.06.21 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब कर न्यायालय में जवाब नोटिस के साथ दिनांकः 29.06.2021 को उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया, साथ ही ई–मेल के जरिये भी नोटिस प्रेषित करते हुए जवाब चाहा गया किन्तु जवाब अप्राप्त रहा। प्रकरण में दिनांक 29.06.2021 को स्मरण पत्र जारी किए जाने पर प्रर्त्थी की ओर से पत्रांकः 2132 दिनांकः 12.07.21 के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. हमने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों पर मनन किया। अपीलार्थी के RTI आवेदन दिनांकः 26.03.21 जो प्रत्यर्थी कार्यालय को दिनांकः 16.04.2021 को प्राप्त हुआ, के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा पत्रांकः 1708 दिनांकः 07.06.2021 के माध्यम से बिन्दुवार विनिश्चय कर आवेदक को सूचित किया गया है।
7. प्रत्यर्थी द्वारा प्रश्नगत RTI आवेदन दिनांकः 26.03.21 पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) में विनिर्दिष्ट समयावधि में विनिश्चय नहीं किया जाकर विलम्ब से वांछित सूचना प्राप्ति हेतु फोटोप्रति शुल्क जमा राजकोष कराने हेतु लिखा है जिससे अपीलार्थी निःशुल्क सूचना प्राप्ति का हकदार है।

27/7

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

8. अस्तु अपील स्वीकार की जाती है, प्रत्यर्थी पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के प्रथम आवेदन–पत्र दिनांकः 26.03.2021 में वांछित सूचना, उक्त निर्णय प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में अपीलार्थी को निःशुल्क ही अधिप्रमाणित करते हुए पंजीकृत–पत्र के जरिये उपलब्ध कराई जाना सुनिश्चित करावें।

9. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित ।

27/7

(कमलराम मीना)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)